योगेश रामचन्द्र नायकवाडी

बनाम

राज्य सरकार महाराष्ट्र एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 2079 ऑफ 2008)

7 मार्च, 2008

(के.जी. बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधिपति एवं न्यायमूर्ति आर.वी.रविन्द्रन)

शिक्षा - प्रवेश - अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति का सदस्य हेने का दावा करता है इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश मांगा। जाति का दावा जाँच समिति द्वारा खारिज कर दिया गया। रिट याचिका- उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा निदेशक को अपीलकर्ता के प्रवेश फॉर्म को स्वीकार करने का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जाति के सत्यापन पर जोर दिए बिना और इस पर प्रक्रिया करने के लिए जैसे की अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति से था। अपीलार्थी को आरक्षण का लाभ दिया गया और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। अपीलार्थी ने अपना पाठ्यक्रम पुरा किया एवं डिग्री प्राप्त की। अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका जांच समिति का आदेश कायम रखते हुए अन्ततः खारीज की गई। अपीलार्थी को प्रदान की गई डिग्री को वापिस लेने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश को चुनौती दी गयी। अभिनिर्धारितः अपीलार्थी का प्रवेश या डिग्री रद्द की जाती है, तो यह किसी के लाभ के लिए नहीं है क्योंकि उसकी सीट किसी को नहीं दी जा सकती है। यहाँ यह भी कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने जाति प्रमाण पत्र में जालसाजी या फर्जीवाड़ा किया। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में उनका प्रवेश लगभग 13 साल पहले हुआ था और उन्होंने 4 साल से

अधिक समय पहले डिग्री हासिल की, इसलिए, अपीलार्थी को कुछ शर्तों के अधीन डिग्री का लाभ बनाए रखने की अनुमति दी गई।

अपीलार्थी ने इस आधार पर आरक्षण का लाभ लेते हुए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की कि वह अनुसूचित जनजाति से है। जाँच समिति ने अपीलार्थी के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद उसके दावे को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर कर जाँच समिति के आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया तथा प्रत्यर्थी सं. 3 (निदेशक, तकनिकी शिक्षा) महाराष्ट्र को निर्देश दिये गये कि अनु जनजाति के उम्मीदवार के रूप में प्रवेश के लिये अपीलान्ट का आवेदन स्वीकार करे लेकिन इस शर्त पर कि प्रवेश अस्थायी रहेगा तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। अपीलार्थी को आरक्षण का लाभ दिया गया और इंजिनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया। उन्होंने पाठ्यक्रम पूरा किया और डिग्री प्राप्त की। डिग्री के दो साल बाद अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका जाँच समिति के आदेश को यथावत रखते हुये खारिज की गई। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रदान की गई डिग्री को वापस लेने के लिये उचित कार्यवाही करने हेतु प्रत्यर्थी सं. 3 को निर्देशित किया गया।

इस न्यायालय में अपील में अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि भले ही उसका अनुसूचित जनजाति का दावा खारिज कर दिया गया हो फिर भी उसे उसके द्वारा प्राप्त डिग्री के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने ''मिलिंद और आर. विश्वनाथ पिल्लई'' मामले में इस न्यायालय के फैसले का आधार लिया।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:

1.1 मिलिंद और विश्वनाथ पिल्लई के प्रकरणों में, उम्मीदवारों का स्पष्ट रूप से विश्वास था कि प्रवेश मांगे जाने के समय वे अनुसूचित जनजाति/ जाति से संबंधित थे। उन्होंने प्रवेश मांगा और उन्हें प्रवेश मिल गया था। इसके अलावा, जब उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश किया गया थ, तब उन्हें अनुसूचित जनजाति/जाति से संबंधित दिखाने वाले उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं किया गया थ। दोनों मामलों में डिग्री को बनाए रखने की अनुमति देने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया था। [पैरा 5] [462-डी और ई]

1.2 हालाँकि ऐसे मामले भी हो सकते है जहाँ छात्र को झूठा दावा करके प्राप्त की गई डिग्री को बरकरार रखने की अनुमति देना उचित नही होगा। एक उदाहरण यह है कि उम्मीदवार जाली या नकली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सीटें सुरक्षित करते है। ऐसे मामले हो सकते है, जहाँ भली भांति जानते हुए कि वह अनुसूचित जनजाति/ जाति से संबधित नहीं है, उम्मीदवार एक झूठा दावा कर सकते है कि वे अनुसूचित जनजाति/जाति से संबंधित है। ऐसे मामले भी हो सकते है जहाँ प्रवेश की तारीख से पहले भी उम्मीद्वारों के जाति प्रमाण पत्र जाँच समिति द्वारा सत्यापन पर अमान्य कर दिया गया हो। ऐसे भी मामले हो सकते है जहाँ प्रवेश न्यायालय द्वारा दिये गये ऐसे अन्तरिम आदेश की पालना में दिये गये है जिसके निर्णय के अध्यधीन रहते हुए यह स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी प्रवेश के आधार पर समता (equity) का दावा नहीं कर सकेगें। मिलिंद और विश्वनाथ पिल्लई को दिया गया लाभ स्पष्ट रूप से ऐसे सभी मामलों में समान रूप से नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण के आधार पर विचार करना आवश्यक है। इसके अलावा निर्णय के मुख्य आधार (ratio decidendi) ही नजीर का महत्व (precential value) रखते है, न कि किसी मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में राहत देते समय जारी किया गया निर्देश। इसलिए, मिलिंद और विश्वानाथ पिल्लई को प्रतिपादित एवं लागू

नहीं माना जा सकता है कि हर मामले में जहां किसी उम्मीदवार की जाति के दावे को जाति सत्यापन समिति द्वारा खारिज कर दिया जाता है। उम्मीदवार को प्रवेश और परिणामी डिग्री का लाभ बरकरार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले कोई भी हो। [पैरा 6] [462-एफ, जी और एच; 463-ए, बी और सी]

1.3 चूंकि अपीलार्थी के जाति के दावे को प्रवेश से पहले ही जाँच समिति द्वारा खारिज किया जा चुका था, इसलिए उसकी जाति का मामला अलग है लेकिन इस मामले में हालाकि जाचँ समीति ने पेशेवर पाठ्यक्रम में प्रवेश से पहले ही एक अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया था, उच्च न्यायालय ने तकनीकी शिक्षा निर्देशक को जाति के सत्यापन पर जोर दिए बिना अपीलार्थी के प्रवेश फॉर्म को स्वीकार करने का निर्देश दिया था। यदि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति का है, तो उसी तरह प्रक्रिया करे। यह स्पष्ट किया गया कि यदि कोई प्रवेश दिया गया था तो वह अस्थायी था, और यदि अपीलार्थी अपनी याचिका में विफल रहा तो, वह उस डिग्री के लाभ का हकदार नहीं होगा जो वह प्राप्त करता है। हालाँकि, जैसा कि मिलिदं में गौर किया गया है, यदि अपीलार्थी का प्रवेश या डिग्री रद्द की जाती है, तो इससे किसी को लाभ नहीं होगा क्योकिं उसकी सीट किसी को नहीं दी जा सकती है। ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि अपीलार्थी ने जाति प्रमाण-पत्र में जालसझी या फर्जीवाड़ा किया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में उनका प्रवेश लगभग तेरह साल पहले हुआ था और उन्होंने चार वर्ष से अधिक समय पहले की डिग्री हासिल की थी। इसलिए, अपीलकर्ता को शर्तों के अधीन डिग्री का लाभ बरकरार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहला यह कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हुए कोई और लाभ नहीं मांगेगा। दूसरा यह है कि यदि राज्य द्वारा शुल्क के भुगतान या छात्रवृत्ति के पुरस्कार से छूट का लाभ बढ़ाकर या शुल्क में रियायत का लाभ बढ़ाकर अपीलकर्ता की पेशेवर डिग्री शिक्षा पर कोई खर्च किया है (जो कि सामान्य श्रेणी के छात्रों से कम हो) उसे अनुसूचित

जनजाति का उम्मीदवार मानकर, अपीलकर्ता ऐसे वित्तीय लाभ बरकरार नहीं रख सकता है। तीसरा प्रत्यर्थी, राज्य सरकार की ओर से, अपीलकर्ता पर शुल्क, छात्रवृत्ति या शुल्क में रियायत के माध्यम से खर्च की गई राशि की जांच और आकलन करने के लिए उचित कदम उठा सकता है और अपीलकर्ता से उसके भुगतान की मांग कर सकता है। यदि अपीलकर्ता तीसरे प्रत्यर्थी द्वारा मांग के छह महीने के भीतर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो तीसरा प्रत्यर्थी अपीलकर्ता को दी गई डिग्री वापस लेने की कार्यवाही कर सकता है। यदि कोई राशि बकाया नहीं पाई जाती है या यदि अपीलकर्ता द्वारा निर्धारित और मांगी गई राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो उसे उसके द्वारा प्राप्त डिग्री को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है। [पैरा 7] [463-डी, ई, एफ, जी और एच; 464-ए, बी, सी और डी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद (2001) 1 एससीसी 4 एवं आर. विश्वनाथा पिल्लई बनाम केरल राज्य- (2004) 2 एससीसी 105- (संदर्भित) निर्दिष्ट की गई।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 2079/2008।

1995 की रिट याचिका संख्या 2667 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 28.3.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से विनोद ए बोबडे, शिवाजी एम जाधव, राहुल जोशी और बृज किशोर साह।

प्रत्यर्थी की ओर से संजय वी. खरडे और आशा गोपालन नायर।

श्री के.जी बालाकृष्णन, मुख्य न्यायाधिपति द्वारा आदेश पारित किया गया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया एवं अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता ने आरक्षण के लाभ का दावा करते हुए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग की और दावा किया कि वह 'महादेव कोली- एक अनुसूचित जनजाति' से संबंधित है। उनके जाति प्रमाण पत्र की वैधता का सत्यापन करने वाली जांच समिति ने 29.03.1995 को एक आदेश जारी कर उनके इस दावे को खारिज कर दिया कि वह अनुसूचित जनजाति से हैं। अपीलकर्ता ने जांच समिति के आदेश को डब्ल्यू.पी. क्रमांक 2667/1995. चुनौति दी गई उक्त याचिका में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश जारी कर प्रत्यर्थी सं. 03 (तकनीकी शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र राज्य) को बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपीलकर्ता के आवेदन को स्वीकार करने और उस पर कार्यवाही करते हुए उसे अनुसूचित जनजाति का अभ्यर्थी मानते हुए इस शर्त के साथ कि प्रवेश, यदि दिया जाता है, अंतरिम होगा तथा अंतिम निर्णय के अधीन होगा। इसके अनुसरण में अपीलकर्ता को अनुसूचित जनजातियों के लिए कोटा के तहत आरक्षण का लाभ बढ़ाकर बीई पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। आखिरकार उन्होंने इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम पूरा किया और 31.03.2004 को पुणे विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डिग्री प्रदान की गई।

3. अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को दिनांक 28.03.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, जिसमें जांच समिति के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें प्रत्यर्थी सं. 03 को अपीलकर्ता को दी गई डिग्री को वापस लेने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के उक्त आदेश को इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गयी है। अपीलकर्ता द्वारा आग्रह किया गया एकमात्र तर्क यह है कि भले ही उसका अनुसूचित जनजाति का दावा खारिज कर दिया गया हो लेकिन उन्हें डिग्री जो प्राप्त की है, के लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए था। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद- (2001) 1 एससीसी 4 और आर विश्वनाथ पिल्लई बनाम केरल राज्य- (2004) 2 एससीसी 105।

4. मिलिंद मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने पहले प्रत्यर्थी के जाति के दावे को खारिज करते हुए, निम्नलिखित तर्क पर उसे डिग्री बनाए रखने का लाभ दिया।

> ''प्रत्यर्थी 1 वर्ष 1985-86 के लिए मेडिकल पाठ्यक्रम में शामिल हुआ। अब तक लगभग 15 वर्ष बीत चुके हैं। हमें बताया गया है कि उसने पहले ही पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है और हो सकता है कि वह एक डॉक्टर के रूप में अभ्यास कर रहा हो। इस दृष्टिकोण से और इस अवधि में उसका प्रवेश रद्द करना किसी के हित में नहीं है। मेडिकल पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार पर भारी राशि खर्च की जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं है, प्रत्यर्थी 1 को दिए गए प्रवेश के कारण एक अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार मेडिकल पाठ्यक्रम में शामिल होने से वंचित रहा गया। यदि प्रत्यर्थी 1, के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है तो इससे उस डॉक्टर को समाज की सेवा से वंचित किया जा सकता है जिस पर सार्वजनिक धन पहले ही खर्च किया जा चुका है। इन परिस्थितियों में, यह निर्णय उसके द्वारा प्राप्त की गई डिग्री और एक डॉक्टर के रूप में उसकी प्रैक्टिस को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन हम यह स्पष्ट करते है कि वह अनुसूचित जनजाति आदेश के अंतर्गत आने वाली अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, वह आगे या किसी अन्य संवैधानिक उद्देश्य के लिए अनुसूचित जनजाति आदेश का लाभ नहीं उठा सकता।''

विश्वनाथ पिल्लई मामले में, इस न्यायालय ने, मिलिंद का अनुसरण करते हुए, अपीलकर्ताओं में से एक को अनुमति दी, जिसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के खिलाफ इंजीनियरिंग डिग्री कॉलेज में प्रवेश दिया गया था और जिसका जाति का दावा खारिज कर दिया गया था, उसे अपनी डिग्री लेने की अनुमति इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि भविष्य मे रद्द किए गए जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रोजगार या अन्य लाभ हासिल करने के लिए उसे अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के रूप में नहीं माना जाएगा।"

5. मिलिंद में, सवाल यह था कि क्या पहला प्रत्यर्थी जो 'कोष्टी' जाति से था, वह एस. टी. के लाभ का दावा इस आधार पर आरक्षण कि यह हल्बा की एक उप-जनजाति थी' (संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 के भाग ग में प्रविष्टि संख्या 19), इस न्यायालय ने माना कि 'कोष्टी' हल्बा की अनुसूचित जनजाति का हिस्सा नहीं था और अनुसूचित जनजाति आदेश में प्रविष्टियों को किसी भी की प्राधिकरण द्वारा संशोधित या विस्तारित नहीं किया जा सकता था। परिणामस्वरूप, राज्य की अपील स्वीकार कर ली गई और पहले प्रतिवादी का यह दावा खारिज कर दिया गया कि वह एक अनुसूचित जनजाति से है। राज्य की अपील की अनुमति देने के बाद, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पहले प्रतिवादी को उसकी डिग्री का लाभ बनाए रखने की अनुमति देकर राहत दी (ऊपर दिए गए कारणों के लिए)। विश्वनाथ पिल्लई ने केवल मिलिंद का अनुसरण किया। मिलिन्द के मामले में इस बात को लेकर सद्भाविक संदेह था कि क्या 'हल्बा कोष्टी' को 'हल्बा' माना जा सकता था। विश्वनाथ पिल्लई में, उम्मीदवार का जाति प्रमाण पत्र केवल उसके पिता के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के परिणामस्वरूप रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, मिलिंद और विश्वनाथ पिल्लई में प्रवेश मांगने पर उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से विश्वास था कि वे एक अनुसूचित जनजाति / जाति से हैं और उन्हें प्रवेश मिल गया।

इसके अलावा, जब उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, तब उन्हें अनुसूचित जनजाति/जाति से संबंधित दिखाने वाले उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं किया गया था। दोनों मामलों में डिग्री को बनाए रखने की अनुमति देने वाला निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 की शक्ति के तहत था।

6. हालांकि ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां छात्र को एक झूठा दावा करके प्राप्त की गई डिग्री को बरकरार रखने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। एक उदाहरण यह है कि जहां उम्मीदवार जाली या नकली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके सीटें सुरक्षित करते हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां यह अच्छी तरह से जानते हुए कि वे अनुसूचित जनजाति/जाति से नहीं हैं, उम्मीदवार झूठा दावा कर सकते हैं कि वे अनुसूचित जनजाति/जाति से हैं। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां प्रवेश की तारीख से पहले भी उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र जांच समिति द्वारा सत्यापन पर अमान्य कर दिए गए हों। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां प्रवेश अदालतों द्वारा दिए गए अंतरिम आदेशों के अनुसरण में हो सकता है, जो अंतिम निर्णय के अधीन होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रवेश के कारण उम्मीदवार किसी भी समता (equity) का दावा करने का हकदार नहीं होगा। मिलिंद और विश्वनाथ पिल्लई के मामले में दिया गया लाभ स्पष्ट रूप से ऐसे सभी मामलों में समान रूप लागू नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले पर उसकी अपनी योग्यता के आधार पर विचार करना पड़ सकता है। इसके अलावा निर्णय के मुख्य आधार (ratio decidendi) ही नजीर का महत्व (precential value) रखते है, न कि किसी मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में राहत देते समय जारी किया गया निर्देश। इसलिए हमारा विचार है कि मिलिंद और विश्वनाथ पिल्लई को जहां हर मामले में बगैर तथ्यों पर ध्यान दिये बिना लागू नहीं माना जा सकता है कि जहां किसी उम्मीदवार को जाति के

दावे को जाति सत्यापन समिति द्वारा खारीज कर दिया जाता है, उम्मीदवार को हमेशा प्रवेश के लाभ को बनाये रखने एवं डिक्री की अनुमती दी जानी चाहियें।

7. इसलिए हम यह तय करने के लिए मामले के तथ्यों की जांच कर सकते हैं कि क्या अपीलकर्ता को कोई लाभ दिया जाना चाहिए और यदि हां, तो क्या उनहें मिलिंद और विश्वनाथ पिल्लई में दी गई राहत के समान होना चाहिए। चूंकि अपीलकर्ता के जाति के दावे को प्रवेश से पहले ही जांच समिति ने खारिज कर दिया था, इसलिए यह मामला एक अलग स्तर पर खड़ा है। लेकिन इस मामले में हालांकि जांच समिति ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश से पहले ही अपीलकर्ता के दावें को खारिज कर दिया था, उच्च न्यायालय ने दिनांक 22.06.1995 के आदेश द्वारा तकनीकी शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता की जाति पर जोर दिए बिना उसका प्रवेश फॉर्म स्वीकार कर लिया जाए। जाति का सत्यापन और उसी तरह प्रक्रिया करना जैसे कि अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति से था, यह स्पष्ट करते हुए कि यदि कोई प्रवेश दिया गया था तो वह अंतरिम था, और यदि अपीलकर्ता अपनी याचिका में विफल रहा तो वह प्राप्त की गई डिग्री के लाभ का हकदार नहीं होगा। जैसे कि मिलिंद में कहा, यदि अपीलकर्ता का प्रवेश या डिग्री रद्द की जाती है, तो इससे किसी का लाभ नहीं होगा क्योंकि उसकी सीट किसी और को नहीं दी जा सकती है। ऐसा कोई आरोप भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने जाति प्रमाण पत्र में जालसाजी या फर्जीवाड़ा किया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में उनका प्रवेश लगभग तेरह साल पहले हुआ था और उन्होंने चार साल से अधिक समय पहले डिग्री हासिल की थी। इसलिए हमारा विचार है कि यहां अपीलकर्ता को शर्तों के अधीन डिग्री का लाभ बरकरार रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। पहला यह है कि वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा एवं अधिकार नहीं करेगा तथा किसी लाभ की मांग नहीं करेगा। दूसरा यह है कि यदि राज्य द्वारा शुल्क के भुगतान या छात्रवृत्ति के पुरस्कार से छूट का लाभ बढ़ाकर या शुल्क में रियायत का

लाभ बढ़ाकर अपीलकर्ता की पेशेवर डिग्री शिक्षा पर कोई खर्च किया है (जो कि सामान्य श्रेणी के छात्रों से कम हो) उसे अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के रूप में मानते हुए, अपीलकर्ता ऐसे वित्तीय लाभ बरकरार नहीं रख सकता है। प्रत्यर्थी सं. 03, राज्य सरकार की ओर से, अपीलकर्ता पर शुल्क, छात्रवृत्ति या शुल्क में रियायत के माध्यम से खर्च की गई राशि की जांच और आकलन करने के लिए उचित कदम उठा सकता है और अपीलकर्ता से उसके भुगतान की मांग कर सकता है। यदि अपीलकर्ता प्रत्यर्थी सं. 03 द्वारा मांग के छह महीने के भीतर देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो प्रत्यर्थी सं. 03 अपीलकर्ता को दी गई डिग्री वापस लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है। यदि कोई राशि बकाया नहीं पाई जाती है या यदि अपीलकर्ता द्वार निर्धारित और मांगी गई राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो उसे उसके द्वारा प्राप्त डिग्री को बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है।

8. अपीलकर्ता को प्रदान की गई डिग्री को वापस लेने के लिए कदम उठाने के लिए प्रत्यर्थी सं. 03 को उच्च न्यायालय के निर्देश को हटाते हुए तदनुसार अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

अपील आंशिक स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ओमी पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।